



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 463]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 5, 2016/आ 14, 1938

No. 463]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 5, 2016/ASADHA 14, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 668(अ).—केंद्रीय सरकार, रबड़ अधिनियम, 1947 (1947 का 24) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रबड़ नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :-

- 1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रबड़ (संशोधन) नियम, 2016 होगा।
(2) ये राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. रबड़ नियम, 1955 (जिसे इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 में खण्ड (III) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
(iii)क) "कार्यपालक निदेशक" से अधिनियम की धारा 6क की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त बोर्ड का कार्यपालक निदेशक अभिप्रेत है।
3. मूल नियम के नियम 15 में,
(अ) उप नियम (1) में, खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-
“(खक) कार्यपालक निदेशक” ;

(आ) उप नियम (2) के खण्ड (i) में, उप खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित उप खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :--

“(कक) कार्यपालक निदेशक;”

4. नियम 19, नियम 22, नियम 30, नियम 32, नियम 33ड, नियम 37, नियम 43ख, नियम 47, नियम 48 और प्रथम अनुसूची में “अध्यक्ष” शब्द, के स्थान पर जहाँ कहीं वह आता है, “कार्यपालक निदेशक” शब्द रखा जाएगा।
5. मूल नियमों के नियम 23 में,
(क) “अध्यक्ष” शब्द के स्थान पर “कार्यपालक निदेशक” शब्द रखा जाएगा।
(ख) “आयुक्त” शब्द के स्थान पर “सचिव” शब्द रखा जाएगा।
6. मूल नियमों के नियम 27 में ‘अध्यक्ष’ शब्द के स्थान पर जहाँ कहीं वह आता है “कार्यपालक निदेशक” शब्द रखा जाएगा।
7. नियम 27 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्
“27क. कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति का अधिकारी होगा।

[सं. 2/2/2016-बागान-ग]

विनय कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2016

G.S.R. 668(E).—In exercise of the powers conferred by section 25 of the Rubber Act, 1947 (XXIV of 1947), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Rubber Rules 1955, namely: -

1. (1) These rules may be called the Rubber (Amendment) Rules, 2016
(2) They shall come into force on the date of their publication, in the Official Gazette.
2. In rule 2 of the Rubber Rules, 1955 (hereinafter referred as the principal rules) after clause (iii), the following clause shall be inserted namely:-

(iiia) “Executive Director” means the Executive Director of the Board appointed under sub-section (1) of section 6A of the Act.
3. In rule 15 of the principal rules, -

(A) in sub-rule(1), after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

“(ba) the Executive Director;”;

(B) in sub-rule (2), in clause (i), after sub-clause (a), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

“(aa) the Executive Director ;”

4. In rules 19, 22, 30, 32, 33E, 37, 43B, 47, 48 and in the First Schedule, for the word “Chairman” where ever it occurs the words “Executive Director” shall be substituted.
5. In rule 23 of the principal rules, -
 - (a) for the word “Chairman”, the words “Executive Director” shall be substituted;
 - (b) for the word “Commissioner”, the word “Secretary” shall be substituted.
6. In rule 27 of the principal rules, for the word “Chairman” wherever it occurs, the words “Executive Director” shall be substituted.
7. After rule 27, the following rule shall be inserted, namely:-

“27A. The Executive Director shall be an officer in the rank of Joint Secretary to the Government of India”.

[No. 2/2/2016-Plant-C]

BINOY KUMAR, Addl. Secy.